

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 04, सोमवार, शाके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ), राजस्थान, जयपुर
प्रारम्भिक अधिसूचना
जयपुर, मई 13, 2026
प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

RajKaj Ref No.: 22125009 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि Construction of 2 Lane Railways over bridge in lieu of LC No.36 at Nalka phatak in baran) अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए बारां जिले के तहसील- बारां में कुल रकबा 1.2827 हेक्टर भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में विहित है, प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

(Construction of 2 Lane Railways over bridge in lieu of LC No.36 at Nalka phatak in baran) हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण का सारांश निम्नानुसार है।

भूमि अर्जन स्वरूप कुल 10 परिवारों के प्रभावित होना संभावित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी बारां को इनके क्षेत्राधिकार में प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त परियोजना के लिये जिला- बारां तहसील- बारां के ग्राम- नलका में स्थित हेक्टर 1.2827 भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

अनुसूची														
क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	संपूर्ण क्षेत्रफल (हे.)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण			संरचनाओं का विवरण
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
ग्राम- नलका														
1	350	0.0181	सरकारी	गै. मु.	0.0181	जन स्वास्थ्य	351	928/883	346	172/498				

						अभियांत्रिकी विभाग बारां हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये								
2	928/883	0.1413	सरकारी	चारागाह	0.1413	चारागाह हिस्सा- पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	350	882/614	347	355				
3	882/614	0.0314	सरकारी	गै. मु.	0.0314	सर्टिफिकेशन यूनिट एण्ड टेस्टिंग लेब बारां हिस्सा- पूर्ण संस्था- के लिये	928/ 883	927/883	347	355				
4	927/883	0.0295	सरकारी	गै. मु. छात्रावास	0.0295	इन्दिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बारां हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये	882/ 614	349	347	355				
5	349	0.1363	सरकारी	चारागाह	0.1363	राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमियां हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये	927/ 883	248	349	354				
6	248	0.0048	सरकारी	चारागाह	0.0048	चारागाह हिस्सा- पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	312	187	348	238				
7	184	0.0004	सरकारी	चारागाह	0.0004	चारागाह हिस्सा- पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु	240	312	238	187				
8	245	0.0079	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0079	पी.डब्ल्यू.डी. हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये	240	248	238	187				
9	352	0.0478	निजी	बरानी 1	0.0478	भरतकुमार पुत्र भगवानलाल हिस्सा- पूर्ण	351	373	372/ 478	352				

						जाति महाजन सा. अस्पताल रोड बारां खातेदार							
10	351	0.0211	निजी	बरानी 1	0.0211	भरतकुमार पुत्र भगवानलाल हिस्सा- पूर्ण जाति महाजन सा. अस्पताल रोड बारां खातेदार	350	352	372/ 478	345			
11	239	0.2093	निजी	माल 2	0.2093	1. रीटा नागर पुत्री सत्यनारायण नागर हिस्सा- 1/18 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार 2. विष्णु नागर पुत्री सत्यनारायण नागर हिस्सा- 1/18 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार 3. शिवशंकर नागर पुत्र सत्यनारायण नागर हिस्सा- 1/18 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार 4. सुरेश कुमार पुत्र नन्दलाल किस्सा- 5/18 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार 5. हुकमचन्द पुत्र नन्दलाल किस्सा- 5/18 जाति धाकड़ सा. देह खातेदार	239/ 496	238	239	239			

						6. हरिमोहन पुत्र नन्दलाल हिस्सा- 5/18 जाति- धाकड सा. देह खातेदार							
12	799/191	0.0836	निजी	चाही 2	0.0836	1. जयमन पुत्र मधुसुदन हिस्सा - 1/2 जाति- बारहमण सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 2. निशांत पुत्र मधुसुदन हिस्सा- 1/2 जाति- ब्राहमण सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2	190	239	191/ 495	189			
13	798/191	0.1251	निजी	चाही 2	0.1251	संतोषबाई पत्नि मधुसुदन हिस्सा - पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	367/ 864	243	190	189			
14	192	0.0891	निजी	माल 2	0.0891	मधुसुदन गौतम पुत्र बाबू लाल हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राहमण सा. देह खातेदार	866/ 864	243	190	189			
15	866/864	0.0280	निजी	माल 2	0.0280	सरोज गर्ग पत्नि अशोक कुमार हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. सदर बाजार बारा तहसील बारां खातेदार	865/ 856	192	866/ 864	205			
16	865/859	0.0192	निजी	माल 2	0.0192	महेशचन्द्र	205	192	867/ 864	205			

						पुत्र गोरधन हिस्सा- पूर्ण जाति- धाकड सा. देह खातेदार							
17	867/864	0.0042	निजी	माल 2	0.0042	मनोज कुमार विजय पुत्र बृजमोहन विजय हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. विवेकानन्द पार्क के सामने कोटा रोड बारां खातेदार	863/ 195	798/191	858/ 193	205			
18	663/193	0.0201	निजी	माल 2	0.0201	राज पत्नि सुदर्शन हिस्सा- पूर्ण जाति- खत्रीपंजाबी सा. अस्पताल रोड बारां खातेदार	863/ 193	867/864	663/ 191	205			

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्डअधिकारी- बारां जिला- बारां के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार (Construction of 2 Lane Railways over bridge in lieu of LC No.36 at Nalka phatak in baran) एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियोंको अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वर्णित है,को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना उपखण्डअधिकारी- बारां जिला- बारां की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्धपक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत आपत्तिभूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्डअधिकारी-जोधपुर (उत्तर), जिला-जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

पंकज आर्य,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।